



सराहनीय कार्य, जनपद –जालौन
दिनांक –12.11.2023

थाना एट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 02 अभियुक्तगण को चोरी की मूर्ति(पीतल की) व रूपयों के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 11.11.2023 को वादी श्री अयोध्यादास मंहत गुरू कमल दास 108 निवासी सिंह वासिनी माता मन्दिर कस्बा व थाना एट जनपद जालौन द्वारा थाना एट में तहरीरी सूचना दी गयी कि 02 अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में मन्दिर की दीवार फांदकर मन्दिर में दुर्गा जी की पीतल की मूर्ति चोरी कर ले जाना तथा उसी रात चौमुखी माता मन्दिर से गुल्लक तोड़कर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-191/23 धारा 457/380 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना एट पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मन्दिर में चोरी की घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण को चोरी की मूर्ति एवं रूपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है । थाना एट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. रवि कुमार पुत्र मुन्ना लाल नि0 अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना एट जनपद जालौन ।
2. कल्लू कंजड़ पुत्र छेदालाल नि0 सहाव नाका कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन ।

बरामदगी का विवरण –

- 1 - चोरी की दुर्गा जी की मूर्ति (पीतल धातु)
- 2 - 810 रु नगद बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू का आपराधिक इतिहास –

- 1 - मु0अ0सं0 191/23 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 ।
- 2- मु0अ0सं0 49/23 धारा 457/380 भा0द0वि0
- 3- मु0अ0सं0 75/23 धारा 380/411/ 457 ।
- 4 - मु0अ0सं0 326/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
5. मु0अ0सं0 487/20 धारा 379/411 ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

प्रभारी निरीक्षक थाना एट जनपद जालौन मय टीम ।